

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-316/2023)/अलेसे-III/733

दिनांक :- 16/02/26


कार्यालय आदेश

सुश्री रितिका लवाड़िया, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 743736 कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर के पत्र क्रमांक 1389 दिनांक 30.01.2026 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत (वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुक्रम में) स्वयं के विवाह हेतु असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक (कुल 12 दिवस)

उक्त 12 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री रितिका लवाड़िया, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

  
(सीमा कौशल) 16/2/26

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-316/2023)/अलेसे-III/733

दिनांक :- 16/02/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (आई.टी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 सुश्री रितिका लवाड़िया, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 743736 कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)